

कार्यालय नगर परिषद न्यूरामनगर जिला सतना (म0प्र0)

Email- cmoneuramnagar@mpurban.gov.in

क्र. / 9542 / न.प. / 2020

न्यूरामनगर दिनांक 20/04/2020


प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन 2019 की जानकारी।

विषयांकित क्रम में लेख है कि श्रीमान् द्वारा चाही गई जानकारी तैयार कर श्रीमान् की ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तनुसार


मुख्यनगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यूरामनगर
जिला सतना म.प्र.

कार्यालय, नगर परिषद् न्यूरामनगर, जिला- सतना (म0प्र0)


प्रपत्र-अ (लोक सूचना आवेदन हेतु)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

क्र	विभाग/निकाय का नाम	विभाग/निकाय के अन्तर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक-31.12.2018 को लम्बित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम क. 04+कॉलम क. 05)	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2019 को लम्बित आवेदनों की संख्या (कॉलम क. 06-कॉलम क. 07)	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण			रिमॉक
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि (कॉलम क. 10+कॉलम क. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर परिषद् न्यूरामनगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	3	70	73	65	8	3	500	1230	1730	
					0		0				0	
					0		0				0	
					0		0				0	

नोट :-

- लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) में परिभाषित है।
- इस प्रपत्र में 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
- संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जानी है, अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामनगर
जिला-सतना (म0प्र0)

कार्यालय, नगर परिषद् न्यूरामनगर, जिला- सतना (म0प्र0)

प्रपत्र-ब (अपीलीय आवेदन हेतु)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

क्र०	विभाग/निकाय का नाम	विभाग/निकाय के अन्तर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक-31.12.2018 को लम्बित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम क. 04+कॉलम क. 05)	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2019 को लम्बित आवेदनों की संख्या (कॉलम क. 06-कॉलम क. 07)	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर परिषद् न्यूरामनगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	0	2	2	2	0	0
					0		0	
					0		0	
1					0		0	

नोट :-

- लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) में परिभाषित है।
- इस प्रपत्र में 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रेषित अपीलों का विवरण दिया जाना है।
- संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जानी है, अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामनगर
जिला-सतना (म0प्र0)

कार्यालय, नगर परिषद् न्यूरामनगर, जिला- सतना (म0प्र0)

प्रपत्र-स (प्रशिक्षण हेतु)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

क्र0	विभाग/निकाय का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामनगर
जिला-सतना (म0प्र0)


कार्यालय, नगर परिषद् न्यूरामनगर, जिला- सतना (म0प्र0)

प्रपत्र-द (संस्था के नाम हेतु)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

वर्ष 2016 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत
(SUBSTANTIALLY FINANCED) की श्रेणी में आती हैं

क्रमांक	य	संस्था का नाम एवं पता
1	2	3
निरंक	निरंक	निरंक


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामनगर
जिला-सतना (म0प्र0)